रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2008/श्रावण 2, 1930

No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2008/SRAVANA 2, 1930

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 554(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**39. रिटर्निंग आफिसर का कतिपय मामलों का विनिश्चय करना.**—यदि निर्वाचन के संचालन से संबंधित या प्रक्रिया से संबंधित कोई आनुषंगिक प्रश्न जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं है रिटर्निंग आफिसर या इन नियमों के अधीन उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन के संचालन के अंतर्गत मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया भी है ।"

[फा. सं. 9/7/2007-आई जी सी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 712(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2008

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 38A read with clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend to the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2008.

(2) These shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, for rule 39, the following shall be substituted, namely :—

"**39. Returning Officer to decide on certain matters.**—If any question pertaining to or incidental to the procedure for conduct of elections including matters not specifically covered by these rules, arises, it shall be decided by the Returning Officer or the officer authorised by him under these rules.

Explanation.—For the purpose of this rule, the conduct of election shall also include the process of counting of votes and declaration of results."

[F. No. 9/7/2007-IGC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 712(E), dated the 17th November, 2006.

2800 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.